

SHRI BUTA SINGH:- Sir, this suggestion is in general firms. The relief provided to the State of Madhya Pradesh is as per the norms laid down by the Central Government and the Ministry of Agriculture. These are followed according to the strict regulations. In case, the hon. Member still feels it is inadequate, the State Government can represent to the Government of India. But so far the relief provided under the present system is appropriate.

MR. CHAIRMAN: Next question.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Just a small question.

MR. CHAIRMAN: I will tell you the moment somebody puts a question later it becomes a problem to me. If you raise your hand I will take note of it.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: One small point.

MR. CHAIRMAN: I will allow only this question. Please go ahead.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: I would like to ask the Hon'ble Minister, this question was raised by me a few days back also that pesticides and insecticides play a very vital role.

SHRI BUTA SINGH: His question is not pertinent to the present question.

MR. CHAIRMAN: Mr. Matto, this is not the relevant question.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: am sorry, Sir. I was under some impression...

भारतीय खाद्य निगम के भोपाल स्थित गोदामों में गेहूँ का खराब होना

\* 104. श्री शान्ति त्यागी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के भोपाल स्थित गोदामों में रखा गेहूँ खराब हो गया है;

(ख) क्या यह गेहूँ भोपाल में हाल में गैस के फैलने के कारण खराब हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कितना गेहूँ खराब हुआ है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) भोपाल में हाल ही में गैस रिसने के कारण भारतीय खाद्य निगम के भण्डार में गेहूँ को क्षति नहीं हुई है। तथापि, 3-12-1984 को भारतीय खाद्य निगम के भोपाल स्थित भण्डारण डिपो के खाद्यान्नों के स्टॉक में 18.17 मीटरी टन क्षति ग्रस्त खाद्यान्न था। यह क्षति डिपो में खाद्यान्नों को सम्भालने और उसके भण्डारण संबंधी कार्यों के दौरान पहले हुई थी।

श्री शान्ति त्यागी : माननीय सभापति जी, मैं जानना चाहता हूँ—एफ० सी० आई० की जिम्मेदारी गेहूँ की खरीद की भी है और रख-रखाव की भी है, यह खाली भोपाल के एफ० सी० आई० भंडार की बात नहीं है, एफ० सी० आई० के बहुत से भंडारों में बड़ी मात्रा में गेहूँ सड़ता है। इस वर्ष एफ० सी० आई० के गोदामों में कितना गेहूँ गलत व्यवस्था की वजह से सड़ गया ?

RAO BIRENDRA SINGH: The question relates only to damage, if any, at Bhopal. For other questions, I will require separate notice.

श्री शान्ति त्वाणी : अगर भोपाल की ही बात है, अभी आपने फरमाया कि गेहूं खराब हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ कि जो उसकी इनकवायरी आपने कराई है उसमें कुछ विशेषज्ञ भी शामिल थे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कुल 18 टन के करीब है। उसमें विशेष इनकवायरी की जरूरत नहीं होती मेरे ख्याल से। डिपार्ट-मेंटल आफीसर्स देखते हैं कि जितना डैमेज हुआ है वह नार्मल है। अगर उससे ज्यादा है या कोई खास कारण है जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो गया, तब विशेषज्ञ शामिल करने की जरूरत पड़ती है, वरना नहीं।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : सभापति जी, यूनियन कारबाइड गैस फैक्टरी के पास ही एफ० सी० आई० का गोदाम है और मंत्री जी ने इसको यहां स्वीकार भी किया है। सरकार गैस पीड़ितों को एफ० सी० आई० गोदाम से जो खराब गेहूं है वह खाने के लिये वितरित कर रही है। इसकी शिकायत भी जिन लोगों को वह गेहूं वितरित किया जा रहा है वह कर रहे हैं। न केवल गेहूं बल्कि जो खाद्य तेल भी वितरित किया जा रहा है। पिछले दो महीने में, दिसम्बर और जनवरी में, यह खाद्य तेल और गेहूं गैस पीड़ितों को वितरित किया गया। क्या मंत्री जी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से भोपाल के जिन नागरिकों को जहरीली गैस से प्रभावित गेहूं और तेल वितरित किया जा रहा है उन्होंने इस बात की सरकार से शिकायत की है कि दो महीने के बाद इसके खाने का जो कुप्रभाव उन पर हुआ है उसके परिणामस्वरूप उनमें नपुंसकता पैदा होती जा रही है। क्या यह सही है और क्या सरकार इसकी जांच करायेंगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य ने सुना नहीं या समझा नहीं। मैं ने तो यह कहा है कि गैस लीकेज की वजह से गेहूं को कोई नुकसान नहीं हुआ। डैमेज नहीं हुआ उसकी वजह से।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि डैमेज

हुआ है और शिकायत हुई है। खाने वाले शिकायत कर रहे हैं और यह दोनों प्रकार की शिकायतें वहां के नागरिकों ने की हैं। क्या आप इस की जांच करायेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कोई डैमेज नहीं हुआ है।

श्री सुरेश पचौरी : मैं आप के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि पिछले दिनों दिसम्बर में जो भोपाल में गैस लीकेज हुआ और जिसकी वजह से सब्जी और गेहूं एफेक्टेड हुआ है, तो वहां एक एफ० सी० आई० का गोदाम यूनियन कारबाइड कंपनी के पास ही छोला रोड पर स्थित है। मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है सावधानी के तौर पर कि जो गैस से प्रभावित हमारे भोपाल के साथी हैं उन को आज अतिरिक्त राशन वितरित किया जा रहा है। उन को राशन वितरित करने की व्यवस्था इस फूड गोदाम के अतिरिक्त कहीं और से की गयी है ताकि उस प्रभावित क्षेत्र से उनका बचाव किया जा सके ?

राव बीरेन्द्र सिंह : गोदाम तो वहीं स्थित है जहां आनरबिल मेम्बर ने बतलाया। इस को वह जानते हैं, लेकिन जैसा कहा गया कि गैस का लीकेज होने की वजह से उस गोदाम का जो गेहूं और चीनी, जो वहां जमा थी उस को कुछ नुकसान हुआ है वह सही नहीं है। उस पर गैस का कोई असर नहीं हुआ इस की जांच हम ने करा ली है सम्पुल ले कर टेस्ट करा लिया गया है। उस से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

PROF. C. LAKSHMANNA: Sir, the Minister has been saying that the wheat has been examined. I would like to know what exactly is the content of the report of this examination and who were the experts who examined it.

RAO BIRENDRA SINGH: Nothin harmful was detected in the tests that were carried out of the samples that were taken for wheat and sugar.

PROF. C. LAKSHMANNA: That is not the question.

MR. CHAIRMAN: What the hon. Member wants to know is who are the Persons who carried out the tests. Have you that information?

RAO BIRENDRA SINGH: The scientists of the Indian Agricultural Research Institute in Delhi.

MR. CHAIRMAN: Very good. Next question.

\*D05i [The questioners (Shri R. Ramakrishnan and Shri Satya Pra-fcashi Malaviya) were absent. For answer vide col. A1 infra..]

किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरकों की सप्लाई

\*106 श्री राम चन्द्र विकल: क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक दिलाए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (ग) देश में उर्वरकों की कीमतों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। राष्ट्रीय संसाधनों पर अत्यधिक भार डाले बिना उर्वरकों के प्रयोग के लिए किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की दृष्टि से पिछलीवार जून, 1983 में उर्वरकों की सांविधिक कीमतों में 71/2 प्रतिशत की कमी करके संशोधन किया गया था।

श्री राम चन्द्र विकल: श्रीमान्, जितनी खाद किसान को इस्तेमाल करनी चाहिए महंगाई की वजह से वह उतनी खाद लगाने पर मजबूर है। क्या कृषि मंत्री जी यह जानते हैं कि देश भर में किसानों को

सस्ती दरों पर खाद मुहैया की जानी चाहिए और क्या इस पर वह विचार कर रहे हैं ?

श्री बूटा सिंह: सभापति जी, जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा, जून, 1983 में ही खाद की कीमतों में कटौती करके किसानों को साढ़े सात प्रतिशत की सुविधा दी गई। इससे आगे कहना अभी

श्री बूटा सिंह: सभापति जी, जैसा मैंने अभी कहा, कीमतों में कमी करने की अवस्था में नहीं हैं।

श्री राम चन्द्र विकल: कटौती से पहले क्या दाम खाद का था और आज क्या है, क्या इसके बारे में बतायेंगे? जून, 1983 से पहले क्या भाव था और अब क्या है?

•The difference between the past production cost and the cost of input distribution to the consumer is met by the Government as subsidy. The amount of subsidy borne by the Government on indigenous and imported fertilizer for the past five years is as follows: 1979-80—the total subsidy given was Rs. 603 crores and today, 1984-85, Rs. 1800 crores.

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, what he wants is the price at which it was sold before and after.

श्री बूटा सिंह: मैंने पहले ही कह दिया कि साढ़े सात प्रतिशत की कमी की गई उसकी कीमत में।

If he wants variety-wise prices, I can give the same: urea in 1977 was Rs. 1650; now it is Rs. 2150; MOP in 1977 was Rs. 800; now it is Rs. 1200; DAC in 1977 was Rs. 2210; now it is Rs. 3350. (Jnirrtpptton) He has reminded me that there is a production\* reduction of 10 per cent in the old stock.